छब्बीस-२ संचिवालय

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

विषय :

## पंजी क्र 231 दि.25.01.2016

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन जबलपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/- ठेकेदार से संवंधित अन्य प्रकरणों में श्री ए.के. खरे, संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नर्वदा वाटी विकास प्राधिकरण इंदौर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

3/- अतः इस प्रकरण में किस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है, इस संबंध में कृपया आदेश प्रार्थित है।

कृपया आदेशार्थ।

31.31-

अवट क्लिक की ए-के रबरे की प्रमार्थी किक्सकारी नियुवत किया आना अभित होगा। कुम्मा आरिशार्थ।

(एस.के.बघेल)? According Chief Sectoration to the Sectoration of M.P.

South Gov. Of M.P.

Gov. Of M.P.

Narmada Valley Dev. Department

Mantralaya, Bhopal.

Mantralaya, Bhopal. अवर सचिव अध्यक्षमंद्रा घाटी विकास विभाग

p. 231/

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक विषय : डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य । पूर्व पृष्ठ से:-प्राप्त अरुपे अरुपे । अरूपे अरूपे अरूपे अरूपे अरूपे अरूपे । उपयोवताबुला क्वट्य जियां इस्तादार्थ **उ** एत्रत 1140 11457, 458 DON'S दिनांक 01-02-16

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक विषय : डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-छब्बोस-२ सचिवालय ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य । पूर्व पुष्ठ से:-प्रकारी आधिवारी की नियंकी की जा चढी है। अन्य प्रतिस्त्रां की कार्यवाही हेन मनी विसे विभाज की द्वांकी कहा चाही book. निष् मिमाग की दिला विभा जाना पाछितः) उपसानिव (धावकाश्चान्छ) (एस.के.वर्धेल) अवर सचिव नर्भदा घाटी विकास विन outional Chief Secretary Govt. Of M.P. armada Valley Dev. Department Mantralaya, Bhonal प्रशासकीय विभागकी नस्ती लीटाते इस सस्ती प का उरन्य मामालम् भा नोविस नहीं है। सवं दिर मानिका की प्रति में कामांक अनिकात नहीं है। प्रकार्क अपनिका कराने परही प्रतिरक्षाता आवेश जारी किया जाना क्रांसव

छच्चीस-२ सचिवालय

विषय :

## एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठीय टीप 3/एन के संदर्भ में नस्ती प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु विधि विभाग को अंकित की गई थी विधि विभाग द्वारा निम्न टीप अंकित कर नस्ती वापिस लौटाई है।

माननीय उच्च न्यायालय का नोटिस नही है एवं रिट / याचिका की प्रति में क्रमांक अंकित नही है। क्रमांक एवं नोटिस उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

3/- अतः मान्य हो तो विधि विभाग द्वारा अंकित टीप के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को लिखा जाना उचित होगा।

अ.अ.

निमान सिक्सिकारी की निमां किए। निमान सिक्सिकारी की निमां किए।

31.81

प्रारम किउन्नेमार्च प्रस्टा

काला सीलव

34-85

Meagle 17/2

NVCP an fault

沙尼

抗

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक विषय: प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 21296/2015- मेसर्स जे.टी. ई.जी.सी ए.पी.आर.सी.एल(जेव्ही) विरूद्ध छब्बीस-२ सॉचवालय मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य। पूर्व पृष्ठ से:-वन्वत्य अतियां हत्तामरार्थ अस्ट्रा 3000 511102 114 184.781 AXXVII B-02-16

उन्बीस-२ सचिवालय

विषय :

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 21296/2015- मेसर्स जे.टी. ई.जी.सी ए.पी.आर.सी.एल(जेव्ही) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क्र 776 दि.09.03.2016

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

2/- विभागीय पत्र दिनांक 18.02.2016 के तारतम्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कटनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त नोटिस एवं रिट याचिका क्रमांक क्रमांक 21296/2015 की प्रति संलग्न कर भेजी है, जो पृष्ठ 39-73 /सी पर स्थित है।

3/- अतः विधि विभाग की टीप 3/एन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अ.अ. (क्षावठार) भर)

3HELLIST AGWID

(एस.कं.बधेर) अवर सचिव नर्मदा घाटी विकास विमाग

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं गृह

प्रतिरक्षाण आवेश जारी कर प्रतिमस्ती

ममदाद्यारी विकास विमा

भारत सम्बद्धाः विविध्य विभाग

MODNan Taylin

p38/C

13

40.NO.249/2016/2-